संख्या–5402(1)/9–आ–1–2000–699डीए/1998

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–29 दिसम्बर, 2000

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों में मा0 विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर भवन/भूखण्ड आवंटित करने एवं जनसामान्य को भवन/भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–5140/9–आ–1–99–699डीए/1998, दिनांक–19.11.1999 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–39/37–1–93, दिनांक–06 जनवरी, 92 के प्रस्तर–3(1) में किसी आवेदक या उसके परिवार को भवन/भूखण्ड निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित किये जाने का प्राविधान है :–

''आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा आवयस्क बच्चों से है।) के पास प्रश्नगत अभिकरण उसके विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होने चाहिए''।

2. इससे स्पष्ट है कि आवेदक या उसके परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कुल दो से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होने चाहिए। कृपया भूखण्ड/भवन आवंटन के प्रत्येक मामले में इस आशय का प्रति शपथ–पत्र लेकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवेदक या उसके परिवार के पास आवेदित क्षेत्र के विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिए। इस प्रकार पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर आवेदक या उसके परिवार के पास दो से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिए।

3. यदि किसी मा0 विधायक को परिषद या विकास प्राधिकरण या किसी अन्य अभिकरण की किसी भी योजना में भूखण्ड या भवन प्राथमिकता के आधार पर पूर्व में आवंटित किया जा चुका है और मा0 विधायक द्वारा उसकी बिक्री कर दी गई है और नये भूखण्ड/भवन के लिए आवंटन किया हो तो शासनादेश संख्या–5140/9–आ–1–99–699 डीए/1998, दिनांक–18.11.1999 के अनुसार दुबारा उन्हें आवंटन में प्राथमिकता प्रदान नहीं की जायेगी अपितु उन्हें नियमानुसार आवंटन प्रदान किया जायेगा।

4. मा0 विधायकों के अतिरिक्त जन सामान्य को भी भवन/भूखण्ड आवंटित करने से पूर्व शासनादेश दिनांक–06.01.1992 के प्रस्तर–3(1) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रति शपथ–पत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करा लिया जाय कि उन्हें आवेदित क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/अन्य अभिकरणों में एक से अधिक भवन या भूखण्ड नहीं है और उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है।

5. कृपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों वर्तमान में उत्तराँचल के किसी विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्रों/किसी अन्य अभिकरण की किसी योजना में पूर्व में कोई आवंटन हुआ है तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत होने वाले आवंटन में उसकी गणना की जायेगी।

6. कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आनन्द कुमार
अनु सचिव